HAMIRPUR POLICE

थाना कुरारा **दिनाँक 27.08.2023**

हत्या की घटना का खुलासा, 05 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि समय दोपहर 13.00 बजे थाना कुरारा क्षेत्र अंतर्गत कुसमरा से ग्राम डिमुहा जाते समय रास्ते में मानसिंह यादव पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी सिद्दबाबा का डेरा ग्राम डिमुहा उम्र 75 वर्ष का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है, सूचना पर जनपदीय उच्चाधिकारीगण, थाना पुलिस एवं फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना के संबन्ध में जांच/जानकारी ली गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है, इस संबन्ध में वादी श्री रामराज पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर के द्वारा थाने में आकर लिखित तहरीर दी गयी कि उसके पिता मानसिंह पुत्र स्व0 बाबूलाल को उसके गाँव के रहने वाले 1)करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला पुत्र स्व0 हरलाल 2)भूपसिंह पुत्र धनीराम 3)कप्तान पुत्र करिया निवासीगण ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा जनपद हमीर्पुर व अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डण्डों से मारकर हत्या कर दी गयी है, फिर ट्रैक्टर चढा दिया गया व शव को झाड़ी में फेंक दिया गया। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 300/23 धारा-302/34 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र खुलासे हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा पुलिस टीमों को निर्देशित किया गया था।

थाना कुरारा पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन एवं विवेचना से 03 अन्य अभियुक्तों **1)जुग्गी रैदास उर्फ कौशलेन्द्र रैदास पुत्र कमल 2)उपदेश रैदास उर्फ बड़े पुत्र रामधनी 3)टिर्रा यादव पुत्र कुन्दन यादव निवासीगण सिध्दबाबा का डेरा ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर** के नाम मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये। करिया पुत्र स्व0 हरलाल यादव व भूपसिंह पुत्र धनीराम उपरोक्त के द्वारा कप्तान, जुग्गी रैदास, उपदेश रैदास उर्फ बड़े व टिर्रा यादव के साथ मिलकर पूर्व जमीनी विवाद के कारण षणयंत्र रचकर व घटना की योजना बनाकर मृतक मानसिंह पुत्र स्व0 बाबूलाल यादव निवासी सिध्दबाबा का डेरा ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर की हत्या कर दी तथा योजना के अनुसार उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा लाठी-डण्डो से मारपीट कर हत्या कर दी एवं एक्सीडेन्ट का रूप देने के लिये अभियुक्त कप्तान उपरोक्त द्वारा मृतक मानसिंह उपरोक्त के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया व अन्य सभी अभियुक्तों ने शव को रोड के किनारे झाड़ी में उठाकर फेंक दिया गया था। थाना कुरारा पुलिस टीम द्वारा 05 अभियुक्तों को भैंसापाली मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया एवं उनकी निशादेही पर आला कत्ल रक्तरंजित 02 डण्डे तथा घटना के समय टिर्रा द्वारा लिया गया अंगौछा व घटना में प्रयोग

किया गया ट्रैक्टर मय ट्राली बरामद किया गया है। तथा अभियुक्त भूपसिंह पुत्र धनीराम जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला, कप्तान, जुग्गी रैदाश उर्फ कौशलेन्द्र, उपदेश, टिर्रा यादव उपरोक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1)करिया उर्फ धनीराम उर्फ लाला पुत्र स्व0 हरलाल निवासी ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा हमीरपुर
2)कप्तान पुत्र धनीराम उर्फ करिया उर्फ लाला निवासी ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर
3)जुग्गी रैदास उर्फ कौशलेन्द्र रैदास पुत्र कमल निवासी ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर
4)उपदेश रैदास उर्फ बड़े पुत्र रामधनी निवासी ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर
5)टिर्रा यादव पुत्र कुन्दन यादव निवासी ग्राम डिमुंहा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण

1) दो डण्डे आलाकत्ल में प्रयोग किये गये
2) एक अंगौछा
3) एक ट्रैक्टर मय ट्राली

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1) थाना कुरारा पुलिस टीम
2) एस0ओ0जी0 पुलिस टीम